भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएससी/87/7/2025

Ref No. IRDAI/INT/GDL/MISC/87/7/2025 दिनांक / Date : 29/07/2025

" बीमा कोषों (रिपोजिटरियों) और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश " के खंड 15(क) में संशोधन

Amendment to Clause 15(a) of "Revised Guidelines on Insurance Repositories and Electronic Issuance of Insurance Policies".

1. बीमा कोषों (रिपोजिटरियों) और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश (आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/आईएनएसआरई/111/05/2015) दिनांकित 29 मई, 2015 का संदर्भ दिया जाता है। खंड 15(क) के अनुसार, बीमा कोष(रिपॉजिटरी) द्वारा स्थापित नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बाह्य प्रणाली लेखा परीक्षा फर्म द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी।

उपर्युक्त खंड 15(क) को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और जो निम्नानुसार पठित होगा: -

"खंड 14 में उल्लिखित बीमा कोष(रिपॉजिटरी) द्वारा स्थापित नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा एक बाह्य लेखा परीक्षक, जो या तो प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए) हो, डीआईएसए (आईसीएआई) योग्यताधारी एक सनदी लेखाकार हो या सर्ट-इन(सीईआरटी-आईएन) प्रमाणित विशेषज्ञ हो" के द्वारा उनकी स्वंय की लागत पर वर्ष में न्यूनतम एक बार की जाएगी।

2. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

1. Reference is drawn to the Revised Guidelines on Insurance Repositories and Electronic Issuance of Insurance Policies (IRDA/INT/GDL/INSRE/111/05/2015) dated 29th May, 2015. As per Clause 15(a), a review of the controls, systems, procedures, and safeguards put in place by the insurance repository shall be conducted by an external system audit firm approved by the Authority, on yearly basis.

The above Clause 15(a) hereby stands modified and shall be read as below: -

"A review of the controls, systems, procedures and safeguards put in place by the insurance repository as outlines in Clause 14 shall be conducted at least once a year, at their own cost, by an external auditor who is either a Certified Information System Auditor (CISA), a Chartered Accountant with DISA (ICAI) Qualification or a CERT-IN certified expert".

2. This circular comes into force with immediate effect.

3. This has approval of the Competent Authority.

डिजिटली हस्ताक्षरित / Digitally Signed
सुदीप्त भट्टाचार्य
Sudipta Bhattacharya

(सुदीप्त भट्टाचार्य / Sudipta Bhattacharya)
मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती)/ Chief General Manger (Intermediaries)